न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 48/2021
निर्णय दिनांक : 08.07.2021

1. रेणु अग्रवाल पत्नी अशोक अग्रवाल जाति महाजन निवासी– 25, दयाल नगर, गोपालपुरा बाईपास रोड, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. छोटेलाल पुत्र श्री रामसहाय जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम रामपुरा उर्फ कंवरपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0।
3. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये आयुक्त कार्यालय–जे0एल0एन0 मार्ग जयपुर जिला जयपुर–राज0।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया व अप्रार्थी नम्बर 1 ग्राम रामुपरा उर्फ कंवरपुरा पटवार हल्का बीलवाकंला तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0 के आपस में पडौसी खातेदार काश्तकार है।

तहसील सांगानेर के ग्राम रामपुरा उर्फ कंवरपुरा पटवार हल्का बीलावकंला के खसरा नम्बर 463, 369/699, 530, 531, 534, 535, 582 कुल किता 7 कुल रकबा 0.41 है0 भूमि को इसके पूर्व के राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारों से प्रार्थीया ने जरिये विभिन्न रजि. विक्रय पत्रो द्वारा क्रय कर लिया था जिसके पश्चात् राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम बतौर खातेदार दर्ज हो गया था। तत्पश्चात् प्रार्थीया ने अपनी उक्त भूमि सहित अन्य भूमियॉ को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ख की उपधारा 3 के अन्तर्गत जेडीए में समर्पित कर दिया। वर्तमान में भूमि जेडीए के नाम दर्ज है। उक्त अधिनियम की उपधारा 6 के द्वितीय पैरा में वर्णित प्रावधान के अनुसार धारा 90 ख (3) में समर्पित की जाने वाली भूमि नियोजित विकास हेतु उसी व्यक्ति को उपलब्ध करवाई जाती है। जिसके द्वारा भूमि समर्पित की गयी है। इस प्रकार् उक्त भूमि के समस्त मालिकाना हक प्रार्थीया में ही निहित है तथा प्रार्थीया को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है।

तहसील सांगानेर के ग्राम रामुपरा उर्फ कंवरपुरा पटवार हल्का बीलवा के खसरा नम्बर 463, 369/699, 530, 531, 534, 535, 582 कुल किता 7 कुल रकबा 0.41 है0 भूमि में प्रार्थीया का हक व अधिकार होने के कारण प्रार्थीया के निवेदन पर अप्रार्थी का हक व अधिकार होने के कारण प्रार्थीया के निवेदन पर अप्रार्थी नम्बर 3 जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी सहमति से व सहआवेदन होने के आधार पर उक्त भूमि की सीमाज्ञान की कार्यवाही दिनांक [illegible] 11/2020 को नियमानुसार पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक के द्वारा करवाली है। [illegible] उपस्थित व्यक्तियों ने फर्द मौका रिपोर्ट पढकर, सुनकर, समझकर, अपने अपने हस्ताक्षर व [illegible] कर दिये तथा पटवारी हल्का ने पालना रिपोर्ट माननीय तहसीलदार महोदय के [illegible] पेश कर दी।

प्रार्थीया उक्त सीमाज्ञान आदेश के पश्चात दिनांक 06.06.2021 को अपने खेत पर गयी तो अप्रार्थी नम्बर 1 मौके पर आया और लडाई झगडा करने लग गया और कहा कि उक्त आराजी तो हमारी है हम तुम्हे यहां विकास कार्य नही करने देगे हमारा कोई हमारा कुछ नही बिगाड सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:39:18 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

उक्त पुख्ता सीमाज्ञान के बावजूद अप्रार्थी नम्बर 1 प्रर्थीया के खेतो में घुसता रहता है तथा पुख्ता कब्जे का प्रयास करता रहता है। चूकि प्रार्थीया सामान्यतया जयपुर में निवास करती है। गॉव में रोजाना नही आ पाती है इस बात का फायदा उठाकर अप्रार्थी नम्बर 1 प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करते रहते है। अप्रार्थी नम्बर 1 के इस तरह के कृत्य से प्रार्थीया ने तहसीलदार सांगानेर के यहा एक प्रार्थना पत्र पत्थरगढी बाबत् पेश किया तो तहसीलदार महोदय ने प्रार्थना पत्र लेने से इन्कार कर दिया तथा प्रार्थीया को माननीय न्यायालय श्रीमान से पत्थरगढी बाबत् आदेश लाने हेतु कहा।

अप्रार्थी नम्बर 1 की धमकी व कार्यप्रणाली को देखते हुये प्रार्थीया के मन में डर व तनाव व्याप्त है तथा प्रार्थीया के लिये यह आवश्यक हो गया कि वह पुलिस इमदाद से पत्थरगढी करवाये जिससे श्रीमान के क्षेत्राधिकार में शांति व्यवस्था बनी रह सके। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पुलिस इमदाद से पत्थरगढी करवायें जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को दिनांक 25.06.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या एक की ओर से एडवोकेट श्री चेतनप्रकाश द्वारा वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से एडवोकेट श्री उमेश पारीक ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या एक ने पत्थरगढी के सम्बन्ध में कोई आपत्ति पेश नही की।

बहस सुनी गई। अप्रार्थी संख्या एक की ओर पत्थरगढी के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नही की। दौराने बहस प्रार्थीया अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थीया की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थीया की खातेदारी भूमि की वाके ग्राम रामपुरा उर्फ कंवरपुरा पटवार हल्का बीलावकंला के खसरा नम्बरान 463, 530, 531, 534, 535, 582का तह0 सांगानेर के सीमाज्ञान रिपोर्ट आदेश दिनांक 11.11.2020 के अनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें। पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2021 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार नायक)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:30:18 IST
Reason: SelfAttested